न्यायालय सहायक कलक्टर एंव उपखण्ड अधिकारी आसीन्द
बईजलास श्री संदीप कुमार (आर.ए.एस.)

मेन्यूअल प्रकरण संख्या	58/2022
G.C.M.S.प्रकरण संख्या	2022/58
प्रकरण दर्ज होने की दिनांक	24.01.2022
प्रकरण में निर्णय की दिनांक	04.04.2022

1	लालाराम पि.उगमा रेगर नि.पालड़ी तहसील आसीन्द जिला भीलवाड़ा
2	लक्ष्मी पुत्री उगमा रेगर नि.पालड़ी तहसील आसीन्द जिला भीलवाड़ा
3	विमला पुत्री उगमा रेगर नि.पालड़ी तहसील आसीन्द जिला भीलवाड़ा
4	संतोक पुत्री उगमा रेगर नि.पालड़ी तहसील आसीन्द जिला भीलवाड़ा
5	मनभर पुत्री उगमा रेगर नि.पालड़ी तहसील आसीन्द जिला भीलवाड़ा
6	सायरी पत्नि उगमा रेगर नि.पालड़ी तहसील आसीन्द जिला भीलवाड़ा

:- प्रार्थीगण

1	प्रभू पि.बालू रेगर नि.पालड़ी तहसील आसीन्द जिला भीलवाड़ा
2	भैरू पि.बालू रेगर नि.पालड़ी तहसील आसीन्द जिला भीलवाड़ा
3	मांगी पत्नि बालू रेगर नि.पालड़ी तहसील आसीन्द जिला भीलवाड़ा
4	उप पंजीयक एंव तहसीलदार आसीन्द जिला भीलवाड़ा

:-अप्रार्थीगण

उपस्थित -

वकील प्रार्थी	(1) श्री दलपतसिंह
वकील अप्रार्थीगण	(1)श्री दूधाराम कुमावत

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

आदेश

(1) प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 RTA मे इस न्यायालय में प्रस्तुत कर संक्षेपतःनिवेदन किया गया कि प्रार्थी ने उक्त अनवान का एक वाद पत्र आप न्यायालय में विपक्षी संख्या 1 से 3 के विरूद्द प्रस्तुत कर दिया है जो काफी ठोस तथ्यों पर आधारित होकर प्रार्थीगण के पक्ष में अवश्य ही डिक्री होगा।

(2) प्रार्थीगण एंव विपक्षी संख्या 1 लगायत 3 के संयुक्त स्वामित्व आधिपत्य एंव खातेदारी अधिकारों की अविभाजित कृषि भूमि ग्राम पालड़ी पटवार हल्का पालड़ी तहसील आसीन्द में स्थित है जिसका हाल रेकार्ड जमाबन्दी संवत 2074 से 2077 के अनुसार विवरण निम्नानुसार है जिसमें किता 9 रकबा 1.56 हैक्टर भूमि में प्रार्थीगण का हिस्सा 1/12 दर्ज रेकार्ड है -

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2022.04.07 16:59:23 IST
Reason: SelfAttested

खाता संख्या	आराजी नम्बर	रकबा	आराजी नम्बर	रकबा	आराजी नम्बर	रकबा
483	1029	0.18	1038	[illegible]	74	0.23
	1036	0.10	72	[illegible]	75	[illegible]
	1037	0.33	73	[illegible]	76	[illegible]

(3) उक्त आराजियात राजस्व रेकार्ड में प्रार्थी एंव विपक्षीगण संख्या 1 लगायत 3 के नाम दर्ज रेकार्ड है। विपक्षी संख्या 1 लगायत 3 अवैध रूप से बिना विभाजन कराये ही उक्त आराजियात पर अवैध रूप से बिना विभाजन कराये ही उक्त आराजियात पर अवैध रूप से निर्माण कर रहा है। उक्त आराजियात खेती की जमीन होने से व रोड़ के समीप होने के कारण कीमती जमीन है। उक्त जमीन का प्रार्थीगण व विपक्षीगण के बीच पूर्व में कोई

सहायक कलक्टर(S.D.O.)आसीन्द

बंटवारा नहीं होने से उक्त आराजियात पर विपक्षी संख्या 2 कीमती जमीन व रोड़ के निकट होने से वहां अवैध रूप से मकान व व्यवसायिक कार्य करने के लिये होटल का निर्माण कर रहा है। उक्त आराजियात का विपक्षी संख्या 2 ने व्यवसायिक रूपान्तरण भी नहीं करवाया है। उक्त आराजियात शामलाती है। प्रार्थीगण बंजड़ जमीन पर ही काबिज है जबकि विपक्षीगण अच्छी जमीन पर काबिज है और विपक्षीगण उक्त आराजियात का विभाजन कराये बिना ही रोड़ की जमनी को हड़पना चाहता है व निर्माण करके काबिज रहन चाहता है।

(4) उक्त वर्णित आराजियात का पक्षकारान के मध्य मिट्स एंव बाउंड्स के आधार पर विभाजन नहीं होने से प्रार्थीगण व विपक्षी संख्या 1 लगायत 3 के मध्य अपने हक हिस्से की भूमि को उपजाऊ करने में तथा घास आदि लेने व लगान आदि जमा कराने एंव काश्त करने में विवाद बना रहता है जिस पर प्रार्थीगण ने खाता विभाजन हेतु अप्रार्थीगण को निवेदन किया परन्तु विपक्षीगण बार-बार टालमटोल करता रहा तथा विपक्षीगण अच्छी भूमि को हड़पने पर आमादा है।

(5) उक्त वर्णित आराजियात का मौके पर कब्जे की स्थिति के अनुसार अच्छी से अच्छी व बुरी से बुरी कृषि भूमि का विभाजन करा राजस्व रेकार्ड में आराजियात का हक व हिस्से के अनुसार अलग-अलग-अंकन किये जाने तक विपक्षीगण को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना उचित होकर न्याय संगत है।

(6) अतः श्रीमान् से सादर प्रार्थना है कि विपक्षीगण उक्त आराजियात पर किसी प्रकार का निर्माण एंव बेचान,दान, रहन, वसीयत, बक्षीस नहीं करें तथा मौके पर किसी प्रकार का निर्माण एंव रूपान्तरण नहीं करे व न ही किसी अन्य से करावें।

(7) प्रार्थना पत्र को बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया गया तथा वकील प्रार्थीगण द्वारा प्रकरण में अन्तरिम रूप से स्थगन जारी करने की इस्तदुआ करने पर वकील प्रार्थीगण की एक पक्षीय बहस सुनी गयी। वकील प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एंव शपथ-पत्र पर प्रथम दृष्टया विश्वास करते हुये उक्त वादग्रस्त भूमि पर अप्रार्थीगण को राजस्व रेकार्ड एंव मौके की यथास्थिति बनाये रखने के लिये पाबन्द किया जाकर नोटिस जारी किये गये। नोटिस अप्रार्थीगण बाद तामिल प्राप्त होकर शामिल पत्रावली है।

(8) अप्रार्थी संख्या 1 लगायन 3 की ओर से अधिवक्ता श्री दूधाराम कुमावत ने अधिकार पत्र प्रस्तुत व जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जो शामिल पत्रावली किया गया।

(9) वकील प्रार्थीगण की इस्तदुआ पर बहस वकील उभय-पक्ष सुनी गयी। वकील प्रार्थीगण नें प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुये कथन किया कि उक्त आराजियात का विभाजन पश्चात राजस्व रेकार्ड में पृथक-पृथक खाते कायम होने तक राजस्व रेकार्ड एंव मौके की यथास्थिति बनाये रखने का आदेश जारी रखना न्यायहित में आवश्यक है।

(11) वकील अप्रार्थीगण ने कथन किया कि उक्त संयुक्त खातेदारी भूमि का विभाजन मौखिक तौर पर पुरखों से समय से करीब 50 वर्षों से किया जाकर दोनो पक्षकार अपने-अपने हिस्से पर काबिज है। प्रार्थीगण अपने हक हिस्से की भूमि पर 5-7 वर्षों से मकान बना कर निवास करते आ रहे है जबकि विपक्षी संख्या 2 अपने हक हिस्से की शामलाती कृषि भूमि में अपने पूर्वजों के समय से ही हुये मौखिक बंटवारे के हक हिस्से पर काबिज होकर अपने रहने के लिये मकान नहीं होने से एंव कृषि कार्य के दौरान बारिश इत्यादि से बचाव हेतु मकान का निर्माण कर रहा था। साथ ही पक्षकार में समाज एंव गांव के मौतबीर लोगो के समक्ष बंटवारा का सहमति पत्र लिखवाया गया जिसमें प्रार्थी संख्या 1 ने अपने खर्चे पर न्यायालय में विचाराधीन उक्त दोनो प्रकरणों को विड्रो करने बाबत् कथन किया है। सहमति पत्र की छाया प्रति पेश की जो शा[illegible]ली किया गया।

(12) प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में वर्णि[illegible]ाधिकार में स्थित है

(13) बहस वकील उभयपक्ष पर मनन किया गया। पत्रावली [illegible]जात यथा राजस्व रेकार्ड की प्रमाणित प्रतियां / प्रार्थना पत्र / जवाब प्रार्थना पत्र / सहमति पत्र / इत्यादि का अव[illegible]कन / अध्ययन किया। अप्रार्थीगण द्वारा वादग्रस्त भूमि के विभाजन हेतु सहमति व्यक्त की गयी है। प्रथम दृष्टया मामला अपूरणीय क्षति एंव सुविधा संतुलन प्रार्थी के पक्ष में पाया जाना प्रतीत नहीं होता है। अतः

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2022.04.07 16:59:23 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर(S.D.O.) आसीन्द

क्रियात्मक- आदेश

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पक्षकारान के मध्य विभाजन की सहमति बन जाने तथा प्रकरण में प्रथम दृष्टया मामला अपूरणीय क्षति एंव सुविधा संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में पाया जाना प्रतीत नहीं होने से अस्वीकार किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर की जावें। निर्णय आज दिनांक 04.04.2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

(संदीप कुमार)
सहायक कलक्टर (S.D.O.)
आसीन्द जिला भीलवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2022.04.07 16:59:23 IST
Reason: SelfAttested